

रजिस्टर्ड नं०-ए०ड०-४  
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-४१  
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 7 नवम्बर, 2015 ई० (कार्तिक 16, 1937 शक संवत्)

### भाग ८

सरकारी कागज—पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण—पत्र, जन्म—मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार—भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, पिलखुवा (हापुड़)

8 मई, 2015 ई०

सं० 87 / जे०के० / स्व: मू०/प्रकाशन—2015—2016 नगरपालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद हापुड़ के मात्र आवासीय भवनों पर सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 408/9—नौ—10—63—ए/95—टी०सी०, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अनुपालन में एवं उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम की धारा 128, 63—ए/95—टी०सी०, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 298 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्व: कर 141—क एवं धारा 140 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 298 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्व: कर व्यवस्था में लागू किये जाने हेतु स्व: कर दरों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र “अमर उजाला” में दिनांक 24 मई, 2012 में कराकर 15 दिवस में आपत्ति/ सुझाव मांगे गये थे, निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति, सुझाव का निर्दर्शन 2012 में कराकर 28 जून, 2012 को कराकर इस नियमावली को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाता है, जो गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी। नियमावली/दरें निम्न प्रकार हैं—

स्व: कर नियमावली  
खण्ड (क)

1—नाम—यह नियमावली स्व: कर निर्धारण नियमावली नगरपालिका परिषद, पिलखुवा के नाम से जानी जायेगी।

2—उद्देश्य—स्व: कर निर्धारण व्यवस्था के अन्तर्गत भवन स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लिखित दरों के आधार पर आगणन कर सम्पत्ति कर का निर्धारण कर सकेगा।

3—परिभाषाये—

- (1) ‘नगरपालिका परिषद्’ से तात्पर्य नगरपालिका पिलखुवा से है।
- (2) ‘अधिनियम’ से तात्पर्य उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (3) ‘अधिशासी अधिकारी’ से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, पिलखुवा से है।
- (4) ‘भवन/भूमि’ से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, पिलखुवा की सीमा में स्थित भूमि/भवन से है।
- (5) ‘स्व:कर’ निर्धारण प्रणाली से तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश संख्या 408/9—नौ—10—63ए/95—टी०सी०, दिनांक 22—02—2010 के द्वारा उ०प्र० की समस्त निकायों में लागू किया गया है।

- (6) 'आवासीय भवन' से तात्पर्य ऐसे भवन से है, जिसका प्रयोग भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा है।
- (7) 'पक्का भवन' से तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी छत आर०सी०सी० या आर०बी०सी० पद्धति से निर्मित हो।
- (8) 'अन्य पक्का भवन' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत कड़ी-पटियों से निर्मित हो।
- (9) 'कच्चे भवन' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, टीन शेड ऐसबेस्टस, लोहा/सीमेण्ट की चादर आदि से निर्मित हो।
- (10) 'मासिक किराया दर' से तात्पर्य इस नियमावली में भवनों/भूमि के आच्छादित क्षेत्रफल के लिए निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है।
- (11) 'वार्षिक मूल्य' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा-140 में उल्लेखित वार्षिक मूल्य से है।
- (12) 'आच्छादित क्षेत्रफल' से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।
- (13) 'कार्पेट एरिया' से तात्पर्य भवन के उस क्षेत्र से है जहां कार्पेट बिछाया जा सके।
- (14) 'मार्ग की चौड़ाई' से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

**4—क्षेत्रफल की गणना—कार्पेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जायेगी—(कार्पेट क्षेत्रफल का आगणन कुल आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत परिगणित माना जायेगा।**

- (1) कक्ष—आंतरिक आयाम की पूर्ण माप।
- (2) आच्छादित बरामदा आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।
- (3) बाल्कनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह—आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप।
- (4) गैराज आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।
- (5) स्नानघर, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल का कार्पेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

**5—वार्षिक मूल्य की गणना विधि—भवन का वार्षिक मूल्यांकन=कार्पेट एरिया x स्वःकर की निर्धारित दर x 12।**

**6—वार्षिक मूल्य के आधार पर आगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य—नगरपालिका या इस निमित्त उसके समय—समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा। (संशोधित धारा 141)**

(क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी अवधारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का जाये, जमा कर सकता है।

(ख) नगरपालिका क्षेत्र के किसी भाग के भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा दाखिल की गयी समस्त विवरणियों के आंशिक आरोपित कर सकेगा।

(ग) भवन स्वामियों को 30 सितम्बर तक चालू मांग का गृहकर—जलकर, सीवरकर जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(घ) चालू मांग पर 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक जमा करने पर न तो किसी प्रकार की छूट दी जायेगी और न ही अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(ङ) 31 मार्च के पश्चात बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर (लागू होने की दशा में) जमा करने पर अर्थदण्ड के रूप में 12 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

(च) करों से सम्बन्धित धनराशि सीधे बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य निर्णय लेने पर अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(छ) व्यवसायिक भवनों (पंजीकृत मूल्य आधारित) पर कर निर्धारण नगरपालिका अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पूर्ववत् किया जायेगा।

(ज) स्वःकर निर्धारण का पूर्ण विवरण—पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह (अप्रैल) में भवन स्वामी द्वारा पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि भवन नवनिर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण—पत्र पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा।

**7—रैन्ट कंट्रोल के मकान—रैन्ट कन्ट्रोल 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पालिका परिषद, पिलखुवा प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा। बल्कि अब इसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।**

**8—कर निर्धारण दर—भवन पर आगणित वार्षिक किराया मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर एवं 05 प्रतिशत जलकर एवं 03 प्रतिशत सीवर (लागू होने की दशा में) का निर्धारित होगा।**

**9—करों में छूट—(१) स्वः अध्यासित भवनों के लिए छूट स्वः अध्यासन की अवधि की गणना उसके कर निर्धारण वर्ष से उसमें उल्लिखित भवन के निर्माण वर्ष के प्रमाणिक साक्ष्य के दृष्टिगत निम्न प्रकार छूट देय होगी—**

(क) 10 वर्ष पुराने स्वः अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन पर 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) किराये पर उठे प्रश्न—

(क) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होंगे का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगा।

(ख) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।

**10—कर मुक्ति— भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासीय भवन जो 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित हो एवं उसका कार्पेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगरपालिका परिषद, पिलखुवा में कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त होगा।**

**11—शास्ति एवं अर्थदण्ड—इन उपनियमों का उल्लंघन करने एवं बिना समुचित कारण के विहित दिनांक तक विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कोई भवन स्वामी/अध्यासी अथवा भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने पर भवन स्वामी पर रुपये 1,000/- से रु 0 5,000/- तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। दण्ड का प्रशंसन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा किन्तु किसी भी दशा में दण्ड को 1/2 भाग से अधिक प्रशंसित नहीं किया जा सकेगा।**

**12—उ०प्र० नगरपालिका परिषद अधिनियम की धारा 141 ख के अनुसार वार्षिक मूल्य प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी 31 जुलाई, 2013 तक (Cut off Date) विहित की गयी स्वःकर विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।**

**13—नामान्तरण आवेदन—प्रपत्र के साथ स्वःकर विवरणी भरकर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।**

**14—नगरपालिका परिषद पिलखुवा के सीमान्तर्गत नवनिर्मित हो रही/भविष्य में होने वाली कालोनियों/मोहल्लों की स्वःकर दरें उसके सर्वाधिक समीप के क्षेत्र की दरों के अनुरूप प्रभावी होगी।**

**15—उपसंहार—इस नियमावली के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद, पिलखुवा की पूर्व में लागू गृहकर—जलकर व्यवस्था स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी।**

**नगरपालिका सीमान्तर्गत स्थित मोहल्लों/कालोनियों में आवासीय भवनों पर स्वःकर निर्धारण हेतु स्वःकर दरें प्रति वर्गफुट प्रति माह निम्नानुसार होगी—**

खण्ड (ख)

नगरपालिका सीमान्तर्गत स्थित मौहल्लों/कॉलोनियों में आवासीय भवनों पर स्वःकर निर्धारण हेतु  
स्वःकर दरें प्रति वर्गफुट प्रति माह निम्नानुसार होगी :-

क्र0 सं0	मौहल्ले का नाम	सर्किल रेट	प्रस्तावित दरें (कार्पेट एरिया के अनुसार प्रति वर्गफुट) रु0 में			
			पक्का भवन जिसकी छत आर०सी०सी०/ आर०बी०सी० की हो।	अन्य पक्का भवन जिसकी छत आर०सी०सी०/ आर०बी०सी० न हो।	कच्चा भवन	भूमि
1	चण्डी मन्दिर रोड से मढ़ैया जाटान तक।	11000	2.00	1.00	0.50	
2	मढ़ैया जाटान से बस अड्डे के तिराहे तक।	18000	3.20	1.60	0.80	
3	बस अड्डे के तिराहे से विमोर टाकिज तक	18000	3.20	1.60	0.80	
4	बस स्टैण्ड/मोटर स्टैण्ड	18000	3.20	1.60	0.80	
5	विमोर टाकीज से श्रीराम हॉस्पिटल तक	9000	1.60	0.80	0.40	
6	श्री राम हॉस्पिटल से धौलाना मोड तक	8000	1.40	0.70	0.35	
7	गांधी बाजार मोड से उमराव सिंह रोड पुलिस चौकी तक	35000	6.30	3.15	1.60	
8	कपड़ा मार्केट (बाजार बजाजा)	35000	6.30	3.15	1.60	
9	गढ़—दिल्ली रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक	23000	4.10	2.05	1.00	
10	रेलवे क्रॉसिंग से थाना तक	35000	6.30	3.15	1.60	
11	थाना से गांधी बाजार तिराहे तक	35000	6.30	3.15	1.60	
12	मौहल्ला मठमालियान	25000	4.50	2.25	1.10	
13	पुलिस चौकी बाजार बजाजा से स्टैट बैंक मोड तक।	25000	4.50	2.25	1.10	
14	उमराव सिंह मार्केट	30000	5.40	2.70	1.35	
15	चण्डी मन्दिर गढ़ रोड से रेलवे फाटक तक	25000	4.50	2.25	1.10	
16	रेलवे लाईन फाटक चण्डी मन्दिर से गांधी बाजार तक।	20000	3.60	1.80	0.90	
17	मढ़ैया लखपत सिंह	1800	0.30	0.15	0.10	
18	सर्वोदयनगर (चौ0 गजराज सिंह कॉलोनी)	6000	1.00	0.50	0.25	
19	मौहल्लापुरा	7000	1.20	0.60	0.30	
20	मौहल्ला (चण्डी मन्दिर)	3500	0.60	0.30	0.15	
21	मठमालियान (अंदर)	9000	1.60	0.80	0.40	

22	सब्जी मण्डी खेडा	3000	0.50	0.25	0.10
23	विवेकानन्द कालोनी	5000	0.90	0.45	0.20
24	मोहन नगर	3500	0.60	0.30	0.15
25	गढ़ रोड से चण्डी मन्दिर तक	4000	0.70	0.35	0.15
26	टीचर्स कॉलोनी पिलखुवा वार्ड 14	6000	1.00	0.50	0.25
27	मौहल्ला उमराव सिंह गेट	10000	1.80	0.90	0.45
28	मदैया जाटान	4000	0.70	0.35	0.15
29	परतापुर रोड़	2500	0.45	0.20	0.10
30	मदैया सुखलाल	2000	0.35	0.15	0.10
31	आर्यनगर (कृष्णगंज, रेलवे लाईन तक)	7000	1.25	0.60	0.30
32	न्यू आर्यनगर	4000	0.70	0.35	0.15
33	कृष्णगंज	8000	1.40	0.70	0.35
34	कृष्णगंज (गांधी बाजार से कुंए वाले चौराहे तक)	10000	1.80	0.90	0.45
35	नई आबादी कृष्णगंज / सदौरीकपुरा	3500	0.60	0.30	0.15
36	माता मौहल्ला	2500	0.45	0.20	0.10
37	वैष्णव कॉलोनी/मोटर स्टैण्ड	9000	1.70	0.34	0.15
38	झूहरी के भट्टे से चौकी चुंगी तक	5000	0.90	0.45	0.20
39	चौकी चुंगी हापुड़ से अचपलगढ़ी लिंक रोड़ तक	6500	1.15	0.60	0.30
40	आई०डी०एस०एम०टी० आवास योजना	8000	1.40	0.70	0.35
41	अचपल गढ़ी लिंक रोड़ से चण्डी मन्दिर मोड़ तक	8000	1.40	0.70	0.35
42	गढ़—दिल्ली रोड़ से रेलवे फाटक तक	8000	1.40	0.70	0.35
43	रेलवे फाटक से शंकर टाकीज तक	18000	3.20	1.60	0.10
44	शंकर टाकीज से मन्दिर तिराहे तक	25000	4.50	2.25	1.10
45	मण्डी तिराहे से केएमएस स्कूल (मुख्य सड़क तक)	10000	1.80	0.90	0.45
46	केएम०एस० स्कूल से चर्च मोड़ तक	4000	0.70	0.35	0.15
47	सैन्द्रल बैंक से रेलवे रोड़ तिराहे तक।	30000	5.40	2.70	1.35
48	जवाहर बाजार सैन्द्रल बैंक से गांधी बाजार मोड़ तक।	35000	6.30	3.15	1.30
49	सदौरीक नगर	2000	0.35	0.17	0.08
50	झबरिया	2000	0.35	0.17	0.08
51	खटीकान	3000	0.50	0.25	0.10
52	बीच पट्टी	11000	2.00	1.00	0.50
53	महादेव राणापट्टी	3000	0.50	0.25	0.10
54	जवाहर बाजार सैन्द्रल बैंक तक (मेन रोड़)	11000	2.00	1.00	0.50
55	लुहारान	2500	0.45	0.20	0.10
56	मदैया लुहारान	1800	0.30	0.15	0.8
57	फरीदनगर रोड़	3000	0.55	0.25	0.15
58	अग्रसेन मार्केट (फरीदनगर रोड़)	4000	0.70	0.35	0.15

59	छीपीवाड़ा जैन मन्दिर तक	4500	0.80	0.40	0.20	
60	जैन मन्दिर से रेलवे लाईन	3500	0.60	0.30	0.15	
61	शिवाजीनगर (तीन मूर्ति मन्दिर)	5000	0.90	0.45	0.20	
62	शिवाजीनगर तीन मूर्ति मन्दिर से आगे	3500	0.60	0.30	0.15	
63	रमपुरा	2500	0.45	0.20	0.10	
64	नौरंगपुरी	2500	0.45	0.20	0.10	
65	शुक्लान (बाल्मिकि चौराहे से आगे धेरो तक)	2000	0.35	0.20	0.10	
66	छिंद्वापुरी, बजरंगपुरी, मुंशीनगर धोबीघाट	3000	0.55	0.25	0.15	
67	शुक्लान	7000	1.20	0.60	0.30	
68	मोलापुरी	3000	0.55	0.25	0.15	
69	चमारान शुभाली (अशोकनगर)	2000	0.35	0.20	0.10	
70	भिकनपुरा	3500	0.60	0.30	0.15	
71	चाहडिबा	7000	1.20	0.60	0.30	
72	मण्डी-रेलवे लाईन तक	4500	0.80	0.40	0.20	
73	रेलवे लाईन पर इस्लामनगर की ओर	2500	0.45	0.20	0.10	
74	मौहल्ला रेलवे रोड गंज	6000	1.00	0.50	0.25	
75	पिलखुवा बाहर सीमा (अचपल गढ़ी)	2500	0.45	0.20	0.10	
76	गढ़ी कनखली	2500	0.45	0.20	0.10	
77	साकेत	4000	0.70	0.35	0.15	

(हेमराज)  
अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद्,  
पिलखुवा (हापुड़)

## नगर पालिका परिषद, पिलखुवा

मूल्य 5.00 रुपये

( स्व: कर सम्बन्धी विवरण-पत्र )

प्रपत्र - क

नोट: कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों के दृष्टिगत समस्त अच्छादित (कवर्ड) एरिया का कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत माना जायेगा।

1. भूखण्ड/भवन स्वामी का नाम श्री/श्रीमती.....
2. भवन स्वामी के पिता/पति का नाम श्री.....
3. भूखण्ड/भवन अध्यासी का नाम श्री/श्रीमति.....
4. अध्यासी के पिता/पति का नाम श्री.....
5. भूखण्ड/भवन संख्या ..... मौहल्ला ..... वार्ड (हल्का) .....
6. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (1) वर्ग मी० में ..... (2) वर्ग फुट में .....
7. भूखण्ड पर निर्मित भवन का कुल कवर्ड एरिया (वर्ग फुट में) .....
8. कारपेट एरिया प्रति तल (वर्ग फुट में):
  - (अ) तलघर (बेसमेन्ट) .....
  - (ब) भूतल .....
  - (स) प्रथम तल .....
  - (द) द्वितीय तल .....
  - (य) तृतीय तल .....
  - (र) अन्य तल .....
 योग (वर्ग फुट) में .....
9. भूखण्ड/भवन की अवस्थिति :-
  - (अ) 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
  - (ब) 12 मीटर से अधिक 24 मीटर तक चौड़ी सड़क पर
  - (स) 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर
 .....   
 .....   
 .....
10. भवन स्वामी द्वारा स्वयं प्रयोग में लाये जा रहे क्षेत्र का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) .....
11. (अ) यदि किराये पर है तो किरायेदार द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे क्षेत्र का कारपेट एरिया (वर्ग फुट में)
 

किराया प्रति माह

 (ब) भवन का यदि कोई भाग व्यवसायिक प्रयोग में हो तो उसका कवर्ड एरिया वर्ग फुट  
में .....
12. भवन निर्माण का वर्ष .....
13. नगर पालिका परिषद, द्वारा निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्ग फुट में) .....

14. (अ) भवन/भूखण्ड का वार्षिक मूल्यांकन नगरपालिका की दर के अधार पर (स्वयं प्रयोग के लिए)  
(कारपेट एरिया X दर X 12)
- (ब) यदि भवन किराये पर है तो वास्तविक मासिक किराये के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन  
(मासिक किराया X 12)
- (स) कुल वार्षिक मूल्यांकन (14 अ+14 ब)
15. (अ) गृहकर (कुल वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत) रूपये
- (ब) सीवर/इनेज कर (कुल वार्षिक मूल्यांकन का 2.5 प्रतिशत)
- (स) कुल सम्पत्ति कर (14 अ+14 ब+15 अ+15 ब) (2) वर्ग फुट में
16. (अ) जमा किये जाने वाले सम्पत्ति कर का विवरण:-

क्रमांक	कर	राशि	दिनांक	रसीद/चालान संख्या बँक	बँक/कैश
1.	सामान्य कर (गृहकर)				
2.	सीवर/जल कर				
3.	बकाया (यदि हो)				
	योग				

मैं एतदारा घोषणा करता/करती हूँ कि स्व: मूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी जानकारी और विश्वास में सही एवं पूर्ण है। उक्त भवन सरकारी या नगर पालिका की भूमि पर निर्मित नहीं है यदि उपर्युक्त ब्यौरे में कोई गलत सूचना जाँच उपरान्त पायी जाती है। तो नगर पालिका को मेरे विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं उ० प्र० नगर पालिका परिषद (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :—

हस्ताक्षर भवन रखानी/अध्यासी  
नाम  
पता

## केवल कार्यालय प्रयोग

कार्यालय (जाँचकर्ता लिपिक) की टिप्पणी

कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक की संस्तुति

सक्षम प्राधिकारी

## प्रपत्र - 'ख'

(नियम - 3 देखिये)

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

- क. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम :.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता :.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या :.....
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता :.....
- (पांच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता :.....
- (छ) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता :.....
- ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा :
- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों  
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और  
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम  
(वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शैचालाय, पार्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र का कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया :-

(एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)

(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)

ङ. (क) भवन अवस्थित है

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर

(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

ख. भवन के निर्माण की प्रकृति

(1) पक्का भवन, आर.सी.सी.छत या आर.बी.छत सहित

(2) अन्य पक्का भवन

(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

ग. भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर

(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी : कृपया उपर्युक्त (एक) (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगाये।

च. भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष

## सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि स्व: मूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास में है, ठीक और पूर्ण है।

दिनांक :

अनुप्रमाणक साक्षी

अभिस्वीकृति

हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :

नाम :

नाम :

पिता-माता का नाम :

स्थायी पता :

पूरा पता :

.....